न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2023 (रा.अ.) (GCMS 2023/115)	10.04.2023	22.08.2023

अनवान

1. सलीम पिता पीरू मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी स्टेशन तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. फिरोज खां पिता वहीद खां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी स्टेशन तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– छोगालाल जाट — अधिवक्ता अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल क्रमांक 985/2022–23 अतिक्रमण निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.03.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व आदेश 27.03.2023 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 09.03.2023 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट अतिक्रमी ने मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2898 रकबा 0.57 हैक्टेयर आराजी संख्या 2899 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर जो कि लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह नाबालिग मूर्ति है जिसके हितों की रक्षा करने का दायित्व पटवारी हल्का का बनता है, जिससे उक्त आराजीयात से अपीलांट विपक्षी अतिक्रमी का कब्जा हटाया जाकर कब्जा राज किया जावें। उक्त आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अतिक्रमण कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट विपक्षी को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं हुआ न ही नोटिस पर लेने के लिए इंकार का कोई नोट अंकित किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.03.2023 को अपीलांट विपक्षी का सम्मन लेने से इंकार होना मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को बेदखल किये जाने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व वार्षिक लगान का 50 गुना जुर्माना आरोपित किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई, न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि आराजीयात मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह के खुद काश्त की नहीं होकर मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह माफिदार रहे हैं, व खण्ड पुजारियों की होने सन 1963 में राज्य सरकार के द्वारा माफी रिजुम कर दी गई। जिससे लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह को सिर्फ वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार मात्र था, अपीलांट का पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है व मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह की सम्पतियॉ की देख रेख का जिम्मा देवस्थान विभाग को हैं देवस्थान विभाग की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई शिकायत विवादित कृषि आराजीयात के संबंध में नहीं हुई है फिर भी पटवारी हल्का के स्वनिर्णय से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व उसी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर अपीलांट को बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया गया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि आराजीयात पूर्वजों से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, व उक्त कृषि आराजीयात मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह माफीदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है व खण्ड पुजारियों की रही हैं, व पुजारी खण्डमदार होने से मौजा चित्तौड़गढ़ की आराजी नंबर 2898, 2899 अपीलांट के पूर्वजों को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उन्ही आराजीयात के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की जा सकती है जिसमें आराजीयात बिलानाम दर्ज रेकार्ड हो परन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय के खातेदार की आराजीयात के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील बहक अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 27.03.2023 निरस्त फरमाया जाकर विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की औरं से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/ राजस्व/2023/114 दिनांक 26.04.2023 से से उनकी मूल पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 985/2022–23 निर्णय दिनांक 27.03.2023 अनवानी सरकार बनाम सलीम वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश होने से दिनांक 02.08.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 09.03.2023 को रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट अतिक्रमी ने मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2898 रकबा 0.57 हैक्टेयर आराजी संख्या 2899 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर जो कि लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह नाबालिग मूर्ति हैं जिसके हितों की रक्षा करने का दायित्व पटवारी हल्का का बनता हैं, जिससे उक्त आराजीयात से अपीलांट विपक्षी अतिक्रमी का कब्जा हटाया जाकर कब्जा राज किया जावें। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अतिक्रमण कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किया गया। अपीलांट विपक्षी को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं हुआ न ही नोटिस पर लेने के लिए इंकार का कोई नोट अंकित किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.03.2023 को अपीलांट विपक्षी का सम्मन लेने से इंकार होना मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को बेदखल किये जाने व फसल जप्त सरकार कर निलाम किये जाने व वार्षिक लगान का 50 गुना जुर्माना आरोपित किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई, न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क हैं एवं मंदिर मूर्ति की भूमि एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं उसका उचित प्रबंध करने का दायित्व राज्य सरकार का हैं। भूमि मेवाड स्टेर से लगाकर वर्तमान तक मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.ी सिविल स्पेशल अपील संख्या 147/1997 निर्णय दिनांक 07.11.1997 मांगीलाल वगैराह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है एवं मंदिर मूर्ति की भूमि एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं उसका उचित प्रबंध करने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसके साथ ही विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक दृष्टांत **RLW 2012 (1) RJ 38** का अवलोकन कराया एवं बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 एवं 46 के तहत उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। विवादित आराजीयात मंदिर मूर्ति दर्ज अभिलिखित होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है एवं अपीलार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही हैं। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्मण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया विवादित कृषि आराजीयात मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह के खुद काश्त की नहीं होकर मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह माफीदार रहे हैं, व खण्ड पुजारियों की होने सन 1963 में राज्य सरकार के द्वारा माफी रिजुम कर दी गई। जिससे लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह को सिर्फ वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार मात्र था, अपीलांट का पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है व मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह की सम्पतियॉ की देख रेख का जिम्मा देवस्थान विभाग को हैं देवस्थान विभाग की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की कोई शिकायत विवादित कृषि आराजीयात के संबंध में नहीं हुई हैं, फिर भी पटवारी हल्का के स्व–निर्णय से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व उसी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर अपीलांट को बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया गया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। विवादित कृषि आराजीयात पूर्वजों से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, व उक्त कृषि आराजीयात मंदिर लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह माफीदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है व खण्ड पुजारियों की रही हैं, व पुजारी खण्डमदार होने से मौजा चित्तौड़गढ़ की आराजी नंबर 2898, 2899 अपीलांट के पूर्वजों को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उन्ही आराजीयात के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की जा सकती है जिसमें आराजीयात बिलानाम दर्ज रेकार्ड हो परन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय के खातेदार की आराजीयात के संबंध में अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 27.03.2023 निरस्त फरमाया जाकर विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006(1) RRT** पेज संख्या 272, **2009(2) RRT** पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 एवं 46 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91**(LR Act 1956)**, 45 एवं 46 **(RTA 1955)** के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

45. Restrictions on letting and subletting.— (1) No holder of Khudkasht shall let and no Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding at any one time for a term exceeding five years :

[Provided that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it [or for the purpose of plantation of ProsopisJuliflora or any other like plantation to be used for generation of electricity] a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such. lease or sub-lease for a further period of fifteen years].

[Provided further that for the purpose prescribed by the State Government under sub-section (5A) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), a holder of Kudhkast or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term upto thirty years and may extent such lease or sub-lease for a further period of ten years.]

(2) Where a lease or sub-lease has once been Etranted [or extended] for any term under sub-section (1) no further lease or sub-lease. as the case may be. in respect of the same land shall be granted within two years of the expiry of the first mentioned lease or sub-lease.

(3) No GairKhatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year.

(4) No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his except in circumstances mentioned in Section 46.

46. Letting or sub-letting in exceptional cases— (1) The restrictions imposed by Section 45 on letting by a holder of Khudkasht and on sub-letting by a tenant. shall not apply to–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(a) a minor. or
(b) a lunatic. or
(c) an idiot. or
(d) a woman who is unmarried or divorced or separated from her husband. or is a widow. or
(e) a person incapable disability of cultivating his holding by reason of blindness or other physical disability or infirmity. or
(f) a person who is a member of :he' armed force of the Union. or
(g) a person who is suffering detention or confinement in prison; or
(h) a person not exceeding twenty-five years of age. who is a student prosecuting, his studies in a recognised institution:
Provided that where a holding is held jointly by more person than one the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified therein.
(2) A lease or sub-lease which would be invalid but for the provisions of subsection (1) shall not remain in force for more than two years after the lessor dies or cease- to come within any 'of the description specified therein.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। आराजीयात जैरबहस लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह नाबालिग मूर्ति है जिसके हितों की रक्षा करने का दायित्व पटवारी हल्का का बनता है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया हैं, इसके साथ ही अपीलार्थीगण की और से किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे विवादित आराजीयात का नियमन हेतु अपीलार्थीगण पात्रता रखते है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलार्थी इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह नाबालिग मूर्ति है जिसके हितों की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार का बनता है भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की खुद काश्त है। मूति शाश्वत नाबालिग होती है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 एवं 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। कोई भी व्यक्ति गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होने के आधार पर ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2023 का अवलोकन किया। अपीलार्थी/अप्रार्थी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते है। इसके साथ ही विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का हम पूर्ण रूपेण सम्मान करते है जो कि प्रकरण में चस्पांगी योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2023 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2023 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 013/2023 अनवानी सलीम वगैराह बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 985/2022-23 निर्णय दिनांक 27.03.2023 अनवानी सरकार बनाम सलीम वगैराह को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **22.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official